न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जोबनेर, जयपुर

पीठासीन अधिकारी नेहा राठी आर0ए0एस

मुकदमा नं0 04/2025

राजेश दायमा बनाम अमरचंद वगै0

प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0

1. श्री शिवराज सिंह राठौड वकील प्रार्थी/प्रतिवादीगण
2. श्री सुरेन्द्र कुमार परिहार वकील अप्रार्थी/वादी

दिनांक :– 29.08.2025

निर्णय

प्रार्थी/प्रतिवादी सं0 2 द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 इस आशय का पेश किया कि वादी द्वारा वाद पत्र इकरारनामा दिनांक 24.09.2014 के आधार पर अविधिक रूप से प्रस्तुत किया गया है क्योंकि इकरारनामा प्रथमतः पार्ट पेमेंन्ट का है तथा इकरारनामें से वादी को कोई हक व अधिकार प्राप्त किये जाने हेतु सिविल न्यायालय के माध्यम से संविदा की विनिर्दिष्ट अनुपालना करवाये जाने के बाद ही कोई हक व अधिकार राजस्व न्यायालय में वाद लाने हेतु प्राप्त होते है। जिस कारण वादी का वाद बिना वाद हैतुक उत्पन्न हुए श्रीमान न्यायालय के समक्ष मिथ्या व मनगढत असत्य कथन करते हुए वाद प्रस्तुत किया गया है जो कि खारिज फरमाने योग्य है। वादी द्वारा वाद की मद संख्या 2 में स्पष्ट रूप से स्वयं तथा प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य इकरारानामा दिनांक 24.09.2014 को निष्पादित होना कथित किया है जो कि प्रकरण को प्रथम दृष्टया इकरारनामा की पालना नहीं होना दर्शित करता है जिसकी सुनवाई का अधिकार मात्र सिविल न्यायालय को मालियत के अनुसार संविदा की विनिर्दिष्ट अनुपालना 1963 के अनुसार प्राप्त है जिस कारण श्रीमान न्यायालय को राजस्व न्यायालय होने से क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है।

वादी द्वारा वाद की मद संख्या 9 (अनुतोष) की उपमद (क) में प्रति क्रम–2 या 7 के पक्ष में निष्पादित रजिस्टर्ड विक्रय पत्रो को शुन्य घोषित करवाने का अनुतोष चाहा है जो किसी भी रजिस्टर्ड दस्तावेज को शुन्य/निरस्त किये जाने का अधिकार मालियत के अनुसार सिविल न्यायालय को प्राप्त है जिस कारण श्रीमान न्यायालय को राजस्व न्यायालय होने से क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है। वादी को पार्ट पेमेन्ट इकरारनामें के आधार पर प्रथमतः बिना खातेदारी अधिकार किसी भी प्रकार से राजस्व वाद लाने का कोई अधिकार नही है जिस कारण उक्त वाद बिना वाद हेतुक व क्षेत्राधिकार के अभाव मे खारिज किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। विधि का यह सुस्थापित

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर जयपुर

सिद्धान्त है कि जहां किसी वाद में क्षेत्राधिकार के संबंध में आक्षेप लाये जाते है तो प्रथमतः क्षेत्राधिकार के संबंधित बिन्दू का निर्धारण किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। जिस संबंध में समय समय पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय व विभिन्न उच्च न्यायालयो द्वारा निर्णय व निर्देश पारित किये गये है। अतः प्रार्थना पत्र आ0 7 नियम 11 जा0दी0 के तहत विधितः पोषणयी नहीं होने से सव्यय खारिज फरमाने की कृपा करें। स्वीकार फरमाया जाकर वाद पत्र विधि द्वारा वर्जित होने एंव वाद कारण उत्पन्न न होने के कारण खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

उक्त प्रार्थना पत्र पेश होने पर नकल वादी अधिवक्ता को दिलायी गयी, जिसका अप्रार्थी/वादी के अधिवक्ता ने जबाब प्रस्तुत नकर सीधी बहस करना जाहिर किया जिस पर बहस उभय पक्षकारान सुनी गयी प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो एंव वाद का पूर्णरूपेण अवलोकन किया गया ।

उभय पक्षकारान की बहस व प्रस्तुत प्रार्थना पत्र ह0ओ07 रूल 11 जाप्ता दीवानी मे वर्णित तथ्यो एवं वाद के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि वादी द्वारा जरिये इकरारनमा दिनांक 24.09.2014 को वादग्रस्त आराजी को खरीद किया तथा इकरारनामा वादी व प्रतिवादी सं0 1 में मध्य सम्पादित किया गया। उक्त इकरारानामें के आधार पर वादी द्वारा भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित करने का अनुतोष चाहा गया है। चुकि उक्त वाद पत्र इकरारनामें के आधार पर प्रस्तुत किया गया है, प्रथम दृष्टया प्रकरण में इकरारनामा की पालना नहीं होना दर्शित करता है जिसकी सुनवाई का अधिकार राजस्व न्यायालय का क्षेत्राधिकार नहीं होने से इस न्यायालय को प्राप्त नहीं है। इसलिए वादी द्वारा इकरारानामें के आधार पर प्रस्तुत वाद बावत घोषणा खातेदारी एवं स्थायी निषेधाज्ञा राजस्व न्यायालय की सुनवाई योग्य नहीं है।

अतः प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 जाप्ता दीवानी व सहपठित धारा 151 जा0दी0 स्वीकार फरमाया जाकर वादी द्वारा प्रस्तुत वाद क्षेत्राधिकार के अभाव मे ह0ओ0 7 रूल 11 जाप्ता दीवानी के तहत खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 29.08.2025 को टंकित किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(नेहा राठी RAS)
उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर